



राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2222403/2222469 Email ID : dlbrajasthan@gmail.com Website : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ. 56 (क)सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/128881-29128

दिनांक: 27/12/2022

उपनिदेशक (क्षेत्रीय),
समस्त राजस्थान।

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय:—इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत स्थायी प्रकृति के कार्यों हेतु लक्ष्यों का आवंटन।

संदर्भ:—विभागीय समसंख्यक क्रमांक 42723-947 दिनांक 31.05.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत निम्नानुसार स्थायी प्रकृति के कार्यों को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया जाकर क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर वीसी के द्वारा निर्देश दिये गये है। उक्त क्रम में निगम/परिषद्/पालिका में निम्नानुसार कार्यों को क्रियान्वयन कराये जाने हेतु लक्ष्यों का आवंटन किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि कार्यों की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति अविलंब जारी की जाकर दिनांक 01.01.2023 से कार्यों हेतु मस्टररोल जारी करवाकर कार्यों को प्रारंभ किया जावे।

क्र. सं.	कार्य का नाम	आवंटित लक्ष्य			सम्मिलित की जाने वाली गतिविधियां
		निगम	परिषद्	पालिका	
1	पाकों का पुनरुद्धार (Renovation)	प्रत्येक में 15	प्रत्येक में 10	प्रत्येक में 5	चार दीवारी मरम्मत (पोइंटिंग एवं प्लास्टर कार्य, कॉपिंग कार्य), रिवाॉल्विंग गेट, वॉकिंग ट्रैक, वृक्षारोपण, लॉन इत्यादि कार्य
2	श्मशान/कब्रिस्तान का पुनरुद्धार (Renovation)	प्रत्येक में 10	प्रत्येक में 6	प्रत्येक में 3	चार दीवारी मरम्मत (पोइंटिंग एवं प्लास्टर कार्य, कॉपिंग कार्य), रिवाॉल्विंग गेट, वॉकिंग ट्रैक, सीटिंग बेंच, वृक्षारोपण, शेड मरम्मत, चबूतरा, पेयजल, शौचालय इत्यादि कार्य
3	बावड़ी एवं जलाशय का पुनरुद्धार (Renovation)	प्रत्येक में 5	प्रत्येक में 3	प्रत्येक में 2	बावड़ी एवं जलाशय मरम्मत, गाद निकालना, आवश्यकतानुसार सीढियों की मरम्मत एवं नवीन निर्माण, सुरक्षा दीवार व अतिरिक्त जल की निकास हेतु प्रबंधन संबंधी कार्य
4	पेंटिंग (शहर की मुख्य सड़क की मीडियन या रोड साईड, दीवारों की हैरिटेज पेंटिंग इत्यादि) संबंधी कार्य।	प्रत्येक में 15	प्रत्येक में 10	प्रत्येक में 5	मुख्य सड़क की मीडियन या रोड साईड एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थलों की दीवारों की पेंटिंग एवं हैरिटेज पेंटिंग संबंधी कार्य

2022

क. सं.	कार्य का नाम	आवंटित लक्ष्य			सम्मिलित की जाने वाली गतिविधियां
		निगम	परिषद्	पालिका	
5	इंटरलॉकिंग संबंधी कार्य	प्रत्येक में 10	प्रत्येक में 5	प्रत्येक में 2	मुख्य सड़क पर जहां पानी का भराव हो एवं आवश्यकतानुरूप इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण एवं सड़कों के दोनों किनारों पर एक-एक मीटर चौड़ाई में इंटरलॉकिंग कार्य कराया जाना
6	खेल मैदान एवं स्टेडियम का पुनरुद्धार (Renovation)	प्रत्येक में 5	प्रत्येक में 3	प्रत्येक में 2	चार दीवारी मरम्मत (पोइंटिंग एवं प्लास्टर कार्य, कॉपिंग कार्य), रिवॉल्विंग गेट, वॉकिंग ट्रैक, वृक्षारोपण, लॉन इत्यादि एवं संबंधी कार्य

पूर्व में जारी विभागीय दिशा निर्देश दिनांक 23.05.2022 में स्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए श्रम एवं सामग्री का अनुपात 25:75 निर्धारित रखा गया है परन्तु निकाय स्तर पर सभी प्रकार के कार्यों को सम्मिलित करते हुए कुल अनुमत लागत (As a Whole) का श्रम व सामग्री अनुपात 75: 25 प्रतिशत ही संधारित किया जायेगा।



(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव

क्रमांक: एफ.56(क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/129123-171

दिनांक: 27/12/2022

प्रतिलिपी:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला कलक्टर (जिला परियोजना समन्वयक), राजस्थान।
3. मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशापी अभियन्ता, नगर निगम (संभाग मुख्यालय), राजस्थान को उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित किये जाने के कम में।
5. सुरक्षित पत्रावली।



निदेशक एवं संयुक्त सचिव